सं0-33/2016/855/62-2-2016-2/3(03)/2016

प्रेषक,

भरत लाल राय,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 30 मार्च,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत तेहरवें वित्त आयोग एवं बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन चेकडैम की व्यय न हो पाने वाली धनराशि को डिपाजिट लेखें में डाले जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-334/ल0सिं0/बजट-डिपाजिट/2015-16, दिनांक 02.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/ 2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 के प्रस्तर-4 एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक 03.3.1997 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट को तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन की योजना में अवमुक्त धनराशि रू0-696.94 लाख में से धनराशि रू0-586.00 लाख तथा बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन चेकडैमों के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि रू0-20.80 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-606.80 लाख (रूपये छः करोड छः लाख अस्सी हजार मात्र) व्यय न हो पाने की स्थिति में आपके पत्र दिनांक 03.02.2016 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरांत प्रश्नगत धनराशि को कार्यदायी संस्था के डिपाजिट लेखें में 30 सितम्बर,2016 तक डाले जाने की अनुमति राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था के रेमिटेन्स लेखाशीर्षक "8782" में जमा कर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 03.03.1997 में दिये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्देशों के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से डी0सी0एन0 निर्गत करके प्रश्नगत धनराशि का उपयोग किया जा सकेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-ई-2-339/दस-2016, दिनांक 30.03.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(भरत लाल राय)
सचिव।

सं0-33/2016/855(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी(विकास)/जिला विकास अधिकारी।
6- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
7- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
11- सहायक निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12- एन0आई0सी0 की प्रति।
13- संबंधित भारतीय स्टेट बैंक शाखा, चित्रकूट।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in